प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितंकर दिवाकर)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2353/2011

याचिकाकर्ता हिम्मत सिंह बैस

विरूद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

श्री जितेंद्र पाली, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से

श्री वाई.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता, उत्तरवादी क्र. 1/राज्य की ओर से

श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता, उत्तरवादी क्र. 2 की ओर से

श्री वाई.सी. शर्मा, अधिवक्ता, उत्तरवादी क्र. 3/ लोक सेवा आयोग की ओर से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

आदेश

(25.08.2011)

यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, यद्यपि उत्तरवादी क्र. 3/ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में पी.एस.सी.) द्वारा नवंबर 2009 में सहायक प्राध्यापक (विधि) के पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की गई थी तथापि साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया था तथा याचिकाकर्ता को अनुलग्नक-पी 8 के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया कि उसने एम.फील. परीक्षा 22.06.2009 अर्थात् नियत अंतिम तिथि पश्चात् उत्तीर्ण की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि लोक सेवा आयोग द्वारा विधि सहित 32 विषयों में सहायक प्राध्यापक के पद हेतु एक विज्ञापन (अनुलग्नक पी-4) जारी किया गया था जिसके अनुशरण में याचिकाकर्ता ने निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात् 22.06.009 से पूर्व आवेदन पत्र भरा था तथापि लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम घोषित किये जाने के समय याचिकाकर्ता का नाम अनुलग्नक पी.-8 के अनुसार विविध कारणों सहित अपात्र अभ्यार्थियों की सूची में सम्मिलित किया

गया। उपरोक्त दस्तावेजों में याचिकाकर्ता का नाम क्रमांक 7 पर दर्शित है। उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि उसने एम.फील. परीक्षा की उपाधि निर्धारित तिथि दिनांक 22.06.2009 के उपरांत प्राप्त की है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता शैक्षणिक सत्र 2007-08 हेतु उत्तरवादी क्रमांक 2 (पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर) द्वारा आयोजित एम.फील. की परीक्षा में सम्मिलित हुआ था तथा प्रारंभ में उसे असफल घोषित किया गया था, किन्तु तत्पश्चात् पुर्नमूल्यांकन किये जाने पर उसे अनुलग्नक पी. 3 के अनुसार दिनांक 17.06.2009 को सफल घोषित किया गया था तथा इस प्रकार अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने परीक्षा को निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात् 22.06.2009 के पूर्व उत्तीर्ण की है। याचिकाकर्ता का यह भी कथन है कि ओ.एम.आर. सीट में उसने विज्ञापन की खण्ड 7.6 के अनुसार उसके पास आवश्यक योग्यता प्राप्त होने का उल्लेख किया गया था, तथा उसे ओ.एम.आर. सीट के साथ कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके अनुसार विज्ञापन की खण्ड 8 के अनुसार याचिकाकर्ता को साक्षात्कार के समय ही संबंधित दस्तावेज प्रदर्शित करने थे, याचिकाकर्ता का यह भी कथन है कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने एम.फील. परीक्षा दिनांक 17.06.2009 को उत्तीर्ण कर ली थी तथापि विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची अनुलग्नक पी. 2 के अनुसार दिनांक 03.07.2009 को जारी की गई थी। याचिकाकर्ता का कथन है कि उसने दिनांक 21.09.2010 को याचिकाकर्ता ने लोक सेवा आयोग को एक अभ्यावेदन अनुलग्नक पी. 9 प्रस्तुत किया था जिसमें प्रकरण के तथ्यों से अवगत कराया था, किन्तु दुर्भाग्यवश उत्तरवादी/पी.एस.सी. द्वारा उसे विचारार्थ ग्रहण नहीं किया गया । याचिकाकर्ता का कथन है कि आवश्यक योग्यता प्राप्त होने तथा योग्यता का प्रमाण होना दो भिन्न-भिन्न बाते है तथा जैसे ही याचिकाकर्ता को योग्यता प्राप्त हो जाता है उसे उसके वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता । उसके अनुसार यदि यह स्वीकृत है कि याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व ही आवश्यक योग्यता प्राप्त कर ली थी। तो तकनीकी कारणों से याचिकाकर्ता के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए तथा उसे साक्षात्कार में भाग लेने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए लोक सेवा आयोग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता के पास यह दिखाने हेतु कोई संबंधित दस्तावेज नहीं था कि उसने दिनांक 22.06.2009 से पूर्व एम.फील. परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अतः लोक सेवा आयोग द्वारा याचिकाकर्ता का नाम अपात्र अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

किया जाना न्यायोचित है उन्होंने आगे यह भी तर्क किया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों द्वारा समर्थित सही सूचना प्रदान नहीं की है, अतः लोक सेवा आयोग का याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु न बुलाने का निर्णय भी पूर्णतः न्यायसंगत है।

5. उत्तरवादी/राज्य के अधिवक्ता ने भी लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है । तथापि विश्वविद्यालय के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि चूंकि विचाराधीन प्रकरण राज्य एवं लोक सेवा आयोग के मध्य है अतः विश्वविद्यालय की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने गये तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

7. दिनांक 20.05.2009 के विज्ञापन से यह स्पष्ट है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22.06.2006 निर्धारित थी। उक्त विज्ञापन की खण्ड 3 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित अपेक्षित योग्यता अंकित है जो इस प्रकार है :-

(3) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-

3-1 (क) अच्छे शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ न्यूनतम 55% अंक के साथ अथवा ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड-बी के साथ सात बिंदुओं सहित संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अन्यथा किसी भारतीय विश्वविद्यालय से अथवा विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि।

नोट: यू.जी.सी. की परिवर्तन तालिका के अनुसार प्रतिशत अंकों में परिवर्तित किया जायेगा जो निम्नलिखित है-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Grade	Grade point	% Equivalent
0	5.50-6.00	75-100
A	4.50-5.49	65-74
B	3.50-4.49	55-64
C	2.50-3.49	45-54
D	1.50-2.49	35-44
E	0.50-	25-34

	1.49	
F	0.00-0.49	0-24

स्नातकोत्तर स्तर में न्यूनतम 55% अंकों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 05% अंकों की छूट दी जाएगी।

(ख) यू.जी.सी. अथवा सी.एस. आई. आर. द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) अथवा

राज्य सरकार द्वारा आयोजित (SET) राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

परन्तु संबंधित विषय में पी.एच.डी. डिग्री वाले अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर या स्नातक अध्यापन हेतु परीक्षा उत्तीर्ण होने से छूट दी जाएगी।

परन्तु यह और भी कि संबंधित विषय में एम.फिल डिग्री वाले अभ्यर्थियों को स्नातक

स्तर के अध्यापन हेतु ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने से छूट दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नोट- उपर्युक्त आवश्यक अर्हतायें आवेदन करने की तिथि अथवा इसके पूर्व का होना अनिवार्य है। आवेदन करने के बाद की तिथि के शैक्षणिक अर्हतायें मान्य नहीं होंगे तथा आवेदकों के द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र भेजने के बाद उन्हें ओ.एम.आर आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन का अवसर नहीं दिया जायेगा।

आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे ओ.एम.आर आवेदन पत्र अत्यन्त सावधानी से भरें।

उक्त विज्ञापन का खण्ड 7 इस प्रकार है कि

आवेदन कैसे करें:-

7.1 आवेदकों की सुविधा के लिए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र भरने हेतु जो निर्देश

ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र के साथ दिए गए है उन्हें सावधानीपूर्वक पढने के

बाद ही आवेदक की सुविधा हेतु ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के साथ भरे हुए

आवेदन पत्र का प्रारुपी दिया गया है।

7.6 ओ. एम. आर. आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रमाण पत्र की मूल

छायाप्रति या अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं करना है।

उक्त विज्ञापन का खण्ड 8 इस प्रकार है –

8. आयोग के समक्ष साक्षात्कार के समय वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना

आवेदक साक्षात्कार प्रारंभ होने के पूर्व निम्नानुसार दस्तावेज अनिवार्यतः

प्रस्तुत करें :-

8.1 हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची

8.2 हायर सेकेण्डरी स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची/प्रमाण पत्र

8.3 विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची.

8.4 स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि, नेट अथवा सेट परीक्षा का प्रमाण पत्र, एम. फिल/पी.एच.डी. डिग्री।

8.5 अन्य दस्तावेज / प्रमाण पत्र/प्रशंसा पत्र/अनुभव पत्र (जिसे आवेदक प्रस्तुत करना चाहे)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपर्युक्त खंड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभ्यार्थी के लिए आवेदन पत्र भरने की तिथि को अथवा उससे पूर्व समस्त शैक्षणिक आर्हताएं होनी आवश्यक थी इससे यह भी प्रकट होता है कि ओ.एम.आर. सीट में अभ्यार्थी को समस्त जानकारियों का प्रकटिकरण करना आवश्यक है परन्तु उसे आवेदन के साथ मूल या प्रतिलिपि सहित कोई सुसंगत दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक नहीं है। खण्ड 8 से यह स्पष्ट होता है कि अभ्यार्थी के लिए साक्षात्कार के लिए संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।

8. उक्त प्रकरण में यह निर्विवादित है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 17.06.2009 को एम.फील. परीक्षा उत्तीर्ण की एवं अपेक्षित प्रारूप में योग्यता के संबंध में संबंधित सूचना अभिव्यक्त की गई थी। याचिकाकर्ता का प्रकरण इस आधार पर प्रबल होता है कि विज्ञापनानुसार उसे साक्षात्कार के अवसर पर अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित था और जबकि याचिकाकर्ता ने स्वयं को एम.फील. परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया था । अतः उसे साक्षात्कार हेतु आहूत किया जाना था तथा साक्षात्कार के समय लोक सेवा आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का जिसमें उसके द्वारा एम.फील. आर्हता प्राप्त करना सम्मिलित है, परीक्षण कर सकता था। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22.06.2009 थी तथा याचिकाकर्ता को दिनांक

17.06.2009 को एम.फील. परीक्षा में सफल घोषित किया गया था। डाली छान्दा बनाम अध्यक्ष जे.ई.ई. एवं अन्य 2004 ए.आई.आर.एस.सी.डब्ल्यू. 5699 के लगभग इसी प्रकार के मामले में विधिक स्थिति का प्रतिपादन करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अनुसार अभिनिर्धारित किया गया है।

> कंडिका 7. सामान्य नियम यह है कि किसी अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा पद हेतु आवेदन करते समय, किसी व्यक्ति को प्रवेश विवरणिका में या आवेदन पत्र में, यथास्थिति, उक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि को पात्रता योग्यता धारित करनी चाहिए, जब तक कि इसके विपरीत कोई अभिव्यक्त प्रावधान न हो।इस संबंध में अर्थात् निर्धारित तिथि तक अपेक्षित पात्रता योग्यता धारित करने के विषय में कोई शिथिलता नहीं दी जा सकती। यह आवश्यक प्रमाण पत्र, उपाधि या अंक पत्र प्रस्तुत करके सिद्ध किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार, आरक्षण या भारांश इत्यादि के लाभ का उपयोग करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं। ये दस्तावेज विशिष्ट योग्यता धारित करने या प्राप्त अंकों के प्रतिशत या आरक्षण के लाभ की पात्रता के प्रमाण की प्रकृति के हैं किसी प्रकरण के तथ्यों के आधार पर, प्रमाण प्रस्तुतीकरण के मामले में कुछ शिथिलता प्रदान की जा सकती है एवं कोई कठोर सिद्धांत अनुप्रयुक्त करना समुचित नहीं होगा यथा यह प्रक्रिया के क्षेत्र से संबंधित है। प्रमाण प्रस्तुतीकरण से सुसंगत नियम के प्रत्येक अतिक्रमण का परिणाम आवश्यक रूप से अभ्यर्थित की अस्वीकृति में नहीं होना चाहिए।
>
> कंडिका 8. इस सिद्धांत की व्याख्या एवं अनुप्रयोग चार्ल्स के. स्कारिया एवं अन्य बनाम डॉ. सी. मैथ्यू एवं अन्य, 1980 (2) SCC 752 में किया गया। यहां विवाद चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित था। सुसंगत नियम में योग का उपबंध था यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित विषय या उप-विशेषज्ञता में डिप्लोमा धारित करता है तो 10% अंकों का योग दिए जाने का प्रावधान था तथा यह लाभ केवल तभी दिया जा सकता था जब डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी की सफलता को चयन समिति के ज्ञान में चयन पूर्ण होने से पूर्व प्रामाणिक या स्वीकार्य रीति से लाया गया हो। विवरणिका में यह उपबंधित था कि अंक विवरण की सत्यापित प्रतियां तथा अन्य दस्तावेज प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने चाहिए। ऐसे तीन अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान किया गया था जिन्होंने अपने आवेदन के साथ डिप्लोमा उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया था। उनका स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उनके आवेदन पत्र, जिनमें उन्होंने डिप्लोमा का लाभ का दावा किया था, अपेक्षित प्रमाणपत्र संलग्न न होने के कारण अस्वीकृत किए जाने योग्य थे। इस माननीय न्यायालय ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रत्यावर्तित किया एवं अवधारित किया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश यथोचित रूप से दिया गया था यथा उन्होंने तथ्यतः निर्धारित तिथि के पूर्व डिप्लोमा उत्तीर्ण किया था। निर्णय के अनुच्छेद 20 तथा 24 के संबंधित भाग, जहां यह सिद्धांत प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

"20. डिप्लोमा धारक को 10 अंक जोड़ने में कुछ भी अविवेकपूर्ण अथवा स्वेच्छाचारी नहीं है। परन्तु इन अतिरिक्त 10 अंकों को प्राप्त करने के लिए, डिप्लोमा कम से कम आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व अभिप्राप्त होना चाहिए, उसके पश्चात् नहीं। डिप्लोमा प्राप्त करने का प्रमाण, उसे प्राप्त करने के वास्तविक तथ्य से पृथक है। क्या अभ्यर्थी ने, तथ्यतः, उपाधि क्रम में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व डिप्लोमा अर्जित किया है? यह मूलभूत प्रश्न है। आवेदन पत्र के साथ डिप्लोमा का साक्ष्य प्रस्तुत करना समझदारी है, किन्तु यह द्वितीयक है।प्रथम में तिथि की शिथिलता विधिविरुद्ध है, द्वितीय में नहीं। शैक्षणिक उत्कृष्टता, डिप्लोमा द्वारा जिसके लिए अतिरिक्त अंक प्रदत्त होता है, इस कारण से निष्प्रभावित नहीं की जा सकती कि प्रमाण केवल बाद में उपस्थित किया गया है, तथापि वास्तविक चयन की दिनांक के पूर्व। महत्व डिप्लोमा पर है; उसका प्रमाण डिप्लोमा धारण करने के तथ्य की अधीनता करता है एवं यह कोई पृथक घटक नहीं है। प्रमाण की विधि प्रश्नाधीन अर्हता के लक्ष्य से संगत है। दोनों को संयोजित करना एवं समयावधि के संदर्भ में दोनों को अनिवार्य बनाना सुदृढ़ व्याख्या तथा विधान की यथार्थपरक संहिताबद्धता के विनाशकारी है। जो सहायक है वह अर्हता के प्रमाण की सुरक्षित प्रणाली है। किसी तथ्य एवं उसके प्रमाण के मध्य भ्रम उत्पन्न करना अस्पष्ट विवेकशीलता है। आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने की दिनांक को अनिवार्य बनाना युक्तियुक्त है। परन्तु यदि यह अटल रूप से सिद्ध किया गया है कि योग्यता सुसंगत दिनांक से पूर्व प्राप्त की गई थी, जैसा कि वर्तमान मामले में है, इस योग्यता तत्व को इस कारण अमान्य करना कि प्रमाण, यद्यपि निर्विवाद, कुछ दिन बाद किन्तु चयन के पूर्व प्रस्तुत किया गया था या विवरण पत्र में उल्लिखित रीति में नहीं, परन्तु फिर भी उचित रूप से, प्रक्रिया को दासी नहीं वरन् स्वामिनी तथा रूप को सार के अधीन नहीं बल्कि मूलतत्व से उत्कृष्ट बनाना है।यह सर्वविदित है कि यह रूढ़िबद्ध, अनुष्ठानिक, प्रणाली अवास्तविक है एवं अनभिज्ञतापूर्वक आघातप्रद, अन्यायपूर्ण तथा प्रयास के अभिप्राय को नष्ट करने वाली है। प्रश्नों को देखने का यह प्रकार प्रशासनिक, न्यायिक एवं विधायी प्रक्रियाओं को मनुष्य के लिए विधि के विस्तृत परिदृश्य में अमानवीय बना देता है न कि विधि के लिए मनुष्य। प्रशासन में अधिकांश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कठिनाइयां एवं उत्पीड़न मूलभूत के स्थान पर बाह्य पर अत्यधिक बल से प्रवाहित होते हैं। हमारा मानना है कि सरकार एवं चयन समिति ने डिप्लोमा धारण करने के प्रमाणन के प्रक्रिया को निर्देशात्मक (अनिवार्य न होने वाला) मानते हुए, वास्तविक डिप्लोमा के कब्जे को अनिवार्य ठहराया, जो पूर्णतः विधिसम्मत है। वास्तविक जीवन में ज्ञात है कि विश्वविद्यालयों से उपाधी, डिप्लोमा, विलेख आदि प्रतियों के प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यन्त विलम्बकारी एवं कष्टप्रद है, यहाँ तक कि अंकसूचियों, न्यायालयों से जमानत आदेशों तथा सरकारी कार्यालयों से सरकारी आदेशों सहित अन्य प्रमाणित दस्तावेजों की प्राप्ति में भी असहनीय विलम्ब होता है.....

9. पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा यह तर्क किया गया कि यद्यपि सहायक प्राध्यापक (विधि) के 57 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित की गई थी तथापि केवल 31 अभ्यार्थी ही साक्षात्कार के लिए उपयुक्त पाये गये। लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि अनेक मामलों में इस न्यायालय द्वारा अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाओं की अनुमति प्रदान करने वाले आदेश पारित किये जा चुके है। अतः लोक सेवा आयोग सफल याचिकाकर्ताओं का पुनः साक्षात्कार आयोजित करने जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस प्रकरण में इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय का मत है कि लोक सेवा आयोग के लिए याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए आहूत कर उसकी योग्यता का मूल्यांकन करना असुविधाजनक नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाये तब भी किसी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा तथा इस आधार पर भी इस न्यायालय के परिपक्व विचारानुसार याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

11. लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता के तर्क में इस न्यायालय को कोई बल दिखाई नहीं देता, कि यदि याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है तब एक या अन्य कारणों से लोक सेवा आयोग द्वारा जिन अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये है वो इस न्यायालय का आश्रय लेंगे। वर्तमान प्रकरण उन अभ्यार्थियों के प्रकरण से पूर्णतः भिन्न है जिनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये हैं। यह एक ऐसा प्रकरण है जिसमें याचिकाकर्ता का आवेदन पत्र अस्वीकृत नहीं किया गया अपितू उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है किन्तु केवल इस आधार पर कि एम.फील. परीक्षा का प्रमाण पत्र उसके द्वारा बाद में प्रस्तुत किया गया था इसलिए उसे साक्षात्कार में बुलावा पत्र जारी नहीं किया गया।

12. उपरोक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय का परिपक्व विचार है कि याचिका स्वीकार की जानी चाहिए तदानुसार याचिका स्वीकार जाती है। उत्तरवादी क्र.

3/लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया जाता है वह याचिकाकर्ता को साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र जारी करें तथा याचिकाकर्ता के साक्षात्कार उपरांत उसकी अभ्यर्थिता विधि सम्मत रूप से विचारणीय होगी।

13. याचिका तदानुसार स्वीकार की जाती है।

हस्ताक्षर/
प्रितंकर दिवाकर
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : Hemlata Goswami

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur